Office of Consumer Grievance Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
132 k.v sub station Campus , Bhadelabara
Pithoragarh -262501 Ph.No.05964-297743
Email- cgrfpithoragarh@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
132 के0वी उपसंस्थान परिसर भदेलबाड़ा
पिथौरागढ़ –262501 फोन 0– 05964–297743
ई–मेल – **cgrfpithoragarh@gmail.com**

उपस्थिति 1–सुबोध कुमार, सदस्य तकनीकी 2–शशि भूषण मैठाणी, सदस्य उपभोक्ता

दिनांक - 13.11.2025

परिवाद –116 / 2025–26

श्री वीरपाल सिंह वादी
पता– बेलवन्धगोठ
जिला चम्पावत

बनाम्

अधिशासी अभियंता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
चम्पावत ।

निर्णय

1– शिकायतकर्ता श्री वीरपाल सिंह ने उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच पिथौरागढ़ द्वारा आयोजित कैम्प/ सुनवाई में विद्युत बिल अधिक आने सम्बन्धी शिकायत की। उक्त शिकायत को दर्ज कर विपक्षी को मंच के कार्यालय पत्रांक 125/उ0शि0नि0मं0/पिथौरागढ़ दिनांक 22.09.2025 के द्वारा अपना पक्ष समस्त तथ्यात्मक विवरणों सहित प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।

2– प्रकरण में दिनांक 09.10.2025 को सुनवाई की गयी जिसमें उपखण्ड कार्यालय टनकपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 345/वि0वि0उप0टनक0 दिनांक 04.10.2025 द्वारा अवगत काराया कि उपभोक्ता को वर्तमान में सभी बिल मीटर रीडिंग के आधार पर निर्गत किये जा रहे हैं। यदि उपभोक्ता को मीटर की रीडिंग पर सन्देह है तो उपखण्ड कार्यालय में चेक मीटर हेतु आवेदन कर सकता है। उपभोक्ता द्वारा चेक मीटर हेतु वांछित शुल्क जमा करने के उपरान्त चेक मीटर लगा दिया जाएगा।

आदेश

प्रस्तुत वाद (वाद संख्या–116/2025–26) में शिकायतकर्ता/उपभोक्ता को यदि अपने मापक की कार्यशीलता पर संशय है तो वह मापक की जॉच कराने के लिए स्वंतत्र है। विभाग को निर्देशित किया जाता है कि शिकायतकर्ता/उपभोक्ता द्वारा निर्धारित शुल्क जमा किए जाने के उपरान्त निर्धारित सीमा अवधि के अतंर्गत उक्त का चेक मापक लगाया जाए। तथा उपभोक्ता के परिसर में चेक मीटर लगाते व उतारते वक्त सींलिग रिर्पोट में उपभोक्ता/शिकायतकर्ता प्रतिनिधी के समक्ष ही हस्ताक्षर कराएं जाए। उक्त आधार पर वाद को निस्तारित किया जाता है ।

अपील का अधिकार –

उभयपक्ष एक – दूसरे से वाद को लेकर किसी भी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेगें। इस निर्णय से संन्तुष्टि न होने पर परिवादी 30 दिनों के अन्दर विद्युत लोकपाल 80, बसन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

शशि भूषण मैठाणी
सदस्य उपभोक्ता

सुबोध कुमार
सदस्य तकनीकी

Office of Consumer Grievance Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
132 k.v sub station Campus , Bhadelabara
Pithoragarh -262501 Ph.No.05964-297743
Email- cgrfpithoragarh@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
132 के0वी0 उपसंस्थान परिसर भदेलबाड़ा
पिथौरागढ़ –262501 फोन 0– 05964–297743
ई–मेल – **cgrfpithoragarh@gmail.com**

उपस्थिति 1–सुबोध कुमार, सदस्य तकनीकी 2–शशि भूषण मैठाणी, सदस्य उपभोक्ता

दिनांक - 15.11.2025

परिवाद –120/2025–26

श्री रिशीपाल सिंह — वादी
पता– बेलबन्द गोठ बनबसा
जिला चम्पावत

बनाम्

अधिशासी अभियंता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
चम्पावत।

निर्णय

1– शिकायतकर्ता श्री रिशीपाल सिंह ने उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच पिथौरागढ़ द्वार आयोजित कैम्प /सुनवाई में विद्युत बिल अधिक आने सम्बन्धी शिकायत की गयी। शिकायत को दर्ज कर विपक्षी को मंच के कार्यालय पत्रांक 129/उ0शि0नि0मं0/पिथौरागढ़ दिनांक 22.09.2025 के द्वारा अपना पक्ष समस्त तथ्यात्मक विवरणों सहित प्रस्तुत करने के लिए कहा गया ।

2– प्रकरण में दिनांक 09.10.2025 को सुनवाई की गयी जिसमें उपखण्ड कार्यालय टनकपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 346/वि0वि0उप0टनक0 दिनांक 04.10.2025 द्वारा अवगत कराया कि उपभोक्ता को वर्तमान में सभी बिल मीटर रीडिंग के आधार पर निर्गत किये जा रहे हैं। यदि उपभोक्ता को मीटर की रीडिंग पर सन्देह है तो उपखण्ड कार्यालय में चेक मीटर हेतु आवेदन कर सकता है। उपभोक्ता द्वारा चेक मीटर हेतु वांछित शुल्क जमा करने के उपरान्त चेक मीटर लगा दिया जाएगा ।

आदेश

प्रस्तुत वाद (वाद संख्या–120/2025–26) में शिकायतकर्ता/उपभोक्ता को यदि अपने मापक की कार्यशीलता पर संशय है तो वह मापक की जॉच कराने के लिए स्वंतत्र है ।
विभाग को निर्देशित किया जाता है कि शिकायतकर्ता/उपभोक्ता द्वारा निर्धारित शुल्क जमा किए जाने के उपरान्त निर्धारित सीमा अवधि के अतंर्गत उक्त का चेक मापक लगाया जाए। तथा उपभोक्ता के परिसर में चेक मीटर लगाते व उतारते वक्त सींलिग रिर्पोट में उपभोक्ता/शिकायतकर्ता प्रतिनिधी के समक्ष ही हस्ताक्षर कराएं जाए। उक्त आधार पर वाद को निस्तारित किया जाता है ।

अपील का अधिकार –
उभयपक्ष एक – दूसरे से वाद को लेकर किसी भी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेगें। इस निर्णय से सन्तुष्टि न होने पर परिवादी 30 दिनों के अन्दर विद्युत लोकपाल 80, बसन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो ।

S.K Gyan

शशि भूषण मैठाणी
सदस्य उपभोक्ता

सुबोध कुमार
सदस्य तकनीकी

Office of Consumer Grievance Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
132 k.v sub station Campus , Bhadelabara
Pithoragarh -262501 Ph.No.05964-297743
Email- cgrfpithoragarh@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
132 के0वी उपसंस्थान परिसर भदेलबाड़ा
पिथौरागढ़ –262501 फोन 0– 05964–297743
ई–मेल – **cgrfpithoragarh@gmail.com**

उपस्थिति 1–सुबोध कुमार, सदस्य तकनीकी 2–शशि भूषण मैठाणी, सदस्य उपभोक्ता

दिनांक -14.11.2025

परिवाद –121/2025–26

वादी

श्री रामचन्दर
पता– बेलवन्दगोठ बनबसा
जिला चम्पावत

बनाम्

विपक्षी

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
चम्पावत ।

निर्णय

1– शिकायतकर्ता श्री रामचन्दर ने उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच पिथौरागढ़ द्वारा आयोजित कैम्प/सुनवाई में विद्युत बिल अधिक आने सम्बन्धी शिकायत की गयी। शिकातय को दर्ज कर विपक्षी को मंच के कार्यालय पत्रांक 130/उ0शि0नि0मं0/पिथौरागढ़ दिनांक 22.09.2025 के द्वारा अपना पक्ष समस्त तथ्यात्मक विवरणों सहित प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।

2– प्रकरण में दिनांक 09.10.2025 को सुनवाई की गयी जिसमें उपखण्ड कार्यालय टनकपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 347/वि0वि0उप0टनक0 दिनांक 04.10.2025 द्वारा अवगत कराया कि उपभोक्ता को वर्तमान में सभी बिल मीटर रीडिंग के आधार पर निर्गत किये जा रहे हैं। यदि उपभोक्ता को मीटर की रीडिंग पर सन्देह है तो उपखण्ड कार्यालय में चेक मीटर हेतु आवेदन कर सकता है। उपभोक्ता द्वारा चेक मीटर हेतु वांछित शुल्क जमा करने के उपरान्त चेक मीटर लगा दिया जाएगा ।

आदेश

प्रस्तुत वाद (वाद संख्या–121/2025–26) में शिकायतकर्ता/उपभोक्ता को यदि अपने मापक की कार्यशीलता पर संशय है तो वह मापक की जॉच कराने के लिए स्वंतत्र है । विभाग को निर्देशित किया जाता है कि शिकायतकर्ता/उपभोक्ता द्वारा निर्धारित शुल्क जमा किए जाने के उपरान्त निर्धारित सीमा अवधि के अतंर्गत उक्त का चेक मापक लगाया जाए। तथा उपभोक्ता के परिसर में चेक मीटर लगाते व उतारते वक्त सींलिग रिर्पोट में उपभोक्ता/शिकायतकर्ता प्रतिनिधी के समक्ष ही हस्ताक्षर कराएं जाए। उक्त आधार पर वाद को निस्तारित किया जाता है ।

अपील का अधिकार –
उभयपक्ष एक – दूसरे से वाद को लेकर किसी भी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेगें। इस निर्णय से सन्तुष्टि न होने पर परिवादी 30 दिनों के अन्दर विद्युत लोकपाल 80, बसन्त बिहार , देहरादून में अपील कर सकते है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

शशि भूषण मैठाणी
सदस्य उपभोक्ता

सुबोध कुमार
सदस्य तकनीकी

Office of Consumer Grievance Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
132 k.v sub station Campus , Bhadelabara
Pithoragarh -262501 Ph.No.05964-297743
Email- cgrfpithoragarh@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
132 के0वी उपसंस्थान परिसर भदेलबाड़ा
पिथौरागढ़ –262501 फोन 0– 05964–297743
ई–मेल – cgrfpithoragarh@gmail.com

उपस्थिति 1–सुबोध कुमार, सदस्य तकनीकी 2–शशि भूषण मैठाणी, सदस्य उपभोक्ता

दिनांक - 14.11.2025

परिवाद –123/2025–26

श्रीमती मीना मेहरा
ग्राम – फागपुर
जिला–चम्पावत

वादी

बनाम्

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
चम्पावत

विपक्षी

निर्णय

1–शिकायतकर्ती श्रीमती मीना मेहरा ने दिनांक 18.09.2025 को मंच द्वारा आयोजित सुनवाई/कैम्प (फागपुर) में उपस्थित होकर शिकायत दर्ज करायी। शिकायत में शिकायतकर्ती द्वारा कथन किया गया है कि गॉव के पोलों में लगी स्ट्रीट लाइट में कई स्ट्रीट लाइटें जो खराब हो गई है उसे बदला जाए। और पोल को ठीक किया जाए। प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्रांक 132/उ0शि0नि0मं/पिथौरागढ़ दिनांक 22.09.2025 के माध्यम से विभाग को अपना पक्ष तथ्यात्मक विवरणों सहित प्रस्तुत रखने हेतु कहा गया ।

2– प्रकरण में दिनांक 09.10.2025 को सुनवाई की गयी जिसमें उपखण्ड अधिकारी वि0वि0 उपखण्ड टनकपुर द्वारा कार्यालय पत्रांक 349/वि0वि0उप0टनकपुर दिनांक 04.10.2025 द्वारा अवगत कराया कि वि0 वि0उपखण्ड टनकपुर द्वारा स्ट्रीट लाईट नहीं लगायी गयी है और न ही स्ट्रीट लगाने का कार्य किया जाता है। उक्त प्रकरण विभाग के अधिकार क्षेत्र में न होने के कारण प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

आदेश

प्रस्तुत वाद (वाद संख्या–123/2025–26) मंच के अधिकार क्षेत्र में न होने के कारण प्रकरण को निस्तारित किया जाता है ।

अपील का अधिकार –

उभयपक्ष एक – दूसरे से वाद को लेकर किसी भी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेगें। इस निर्णय से सन्तुष्टि न होने पर परिवादी 30 दिनों के अन्दर विद्युत लोकपाल 80, बसन्त विहार , देहरादून में अपील कर सकते है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो ।

शशि भूषण मैठाणी
सदस्य उपभोक्ता

सुबोध कुमार
सदस्य तकनीकी

Office of Consumer Grievance Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
132 k.v sub station Campus , Bhadelabara
Pithoragarh -262501 Ph.No.05964-297743
Email- cgrfpithoragarh@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
132 के0वी उपसंस्थान परिसर भदेलबाड़ा
पिथौरागढ़ –262501 फोन 0– 05964–297743
ई–मेल – cgrfpithoragarh@gmail.com

उपस्थिति 1–सुबोध कुमार, सदस्य तकनीकी 2–शशि भूषण मैठाणी, सदस्य उपभोक्ता

दिनांक - 13.11.2025

परिवाद --124 / 2025--26

श्री जगदीश कुमार
पता – फागपुर चन्दनी
जिला चम्पावत

वादी

बनाम्

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
चम्पावत ।

विपक्षी

निर्णय

1– शिकायतकर्ता श्री जगदीश कुमार ने उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच पिथौरागढ़ द्वारा आयोजित कैम्प / सुनवाई में विद्युत बिल अधिक आने सम्बन्धी शिकायत की गयी। शिकायत को दर्ज कर विपक्षी को मंच के कार्यालय पत्रांक 133 / उ0शि0नि0मं0 / पिथौरागढ़ दिनांक 22.09.2025 के द्वारा अपना पक्ष समस्त तथ्यात्मक विवरणों सहित प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।

2– प्रकरण में दिनांक 09.10.2025 को सुनवाई की गयी जिसमें उपखण्ड कार्यालय टनकपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 350 / वि0वि0उप0टनक0 दिनांक 04.10.2025 द्वारा अवगत काराया कि उपभोक्ता को वर्तमान में सभी बिल मीटर रीडिंग के आधार पर निर्गत किये जा रहे हैं। यदि उपभोक्ता को मीटर की रीडिंग पर सन्देह है तो उपखण्ड कार्यालय में चेक मीटर हेतु आवेदन कर सकता है। उपभोक्ता द्वारा चेक मीटर हेतु वांछित शुल्क जमा करने के उपरान्त चेक मीटर लगा दिया जाएगा।

आदेश

प्रस्तुत वाद (वाद संख्या–124 / 2025–26) में शिकायतकर्ता / उपभोक्ता को यदि अपने मापक की कार्यशीलता पर संशय है तो वह मापक की जॉच कराने के लिए स्वंतत्र है। विभाग को निर्देशित किया जाता है कि शिकायतकर्ता / उपभोक्ता द्वारा निर्धारित शुल्क जमा किए जाने के उपरान्त निर्धारित सीमा अवधि के अतंर्गत उक्त का चेक मापक लगाया जाए। तथा उपभोक्ता के परिसर में चेक मीटर लगाते व उतारते वक्त सींलिग रिर्पोट में उपभोक्ता / शिकायतकर्ता प्रतिनिधी के समक्ष ही हस्ताक्षर कराएं जाए। उक्त आधार पर वाद को निस्तारित किया जाता है ।

अपील का अधिकार –

उभयपक्ष एक – दूसरे से वाद को लेकर किसी भी प्रकार का वाद व्यय / प्रतिकर प्राप्त नहीं करेगें। इस निर्णय से संन्तुष्टि न होने पर परिवादी 30 दिनों के अन्दर विद्युत लोकपाल 80, बसन्त बिहार, देहरादून में अपील कर सकते है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

शशि भूषण मैठाणी
सदस्य उपभोक्ता

सुबोध कुमार
सदस्य तकनीकी

Office of Consumer Grievance Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
132 k.v sub station Campus , Bhadelabara
Pithoragarh -262501 Ph.No.05964-297743
Email- cgrfpithoragarh@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
132 के0वी उपसंस्थान परिसर भदेलबाड़ा
पिथौरागढ़ –262501 फोन 0– 05964–297743
ई–मेल – **cgrfpithoragarh@gmail.com**

उपस्थिति 1–सुबोध कुमार, सदस्य तकनीकी 2–शशि भूषण मैठाणी, सदस्य उपभोक्ता

दिनांक - 15.11.2025

परिवाद –128 / 2025–26

श्री उज्जवल मण्डल वादी
पता– बंगाली कॉलौनी बनबसा
जिला चम्पावत

बनाम्

अधिशासी अभिंयता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
चम्पावत ।

निर्णय

1– शिकायतकर्ता श्री उज्जवल मण्डल ने उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच पिथौरागढ़ द्वारा आयोजित कैम्प /सुनवाई में विद्युत बिल अधिक आने सम्बन्धी शिकायत की गयी। शिकायत को दर्ज कर विपक्षी को मंच के कार्यालय पत्रांक 136 / उ0शि0नि0मं0 / पिथौरागढ़ दिनांक 22.09.2025 के द्वारा अपना पक्ष समस्त तथ्यात्मक विवरणों सहित प्रस्तुत करने के लिए कहा गया ।

2– प्रकरण में दिनांक 09.10.2025 को सुनवाई की गयी जिसमें उपखण्ड कार्यालय टनकपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 365 / वि0वि0उप0टनक0 दिनांक 04.10.2025 द्वारा अवगत कराया कि उपभोक्ता को वर्तमान में सभी बिल मीटर रीडिंग के आधार पर निर्गत किये जा रहे हैं। यदि उपभोक्ता को मीटर की रीडिंग पर सन्देह है तो उपखण्ड कार्यालय में चेक मीटर हेतु आवेदन कर सकता है। उपभोक्ता द्वारा चेक मीटर हेतु वांछित शुल्क जमा करने के उपरान्त चेक मीटर लगा दिया जाएगा।

आदेश

प्रस्तुत वाद (वाद संख्या–128 / 2025–26) में शिकायतकर्ता / उपभोक्ता को यदि अपने मापक की कार्यशीलता पर संशय है तो वह मापक की जॉच कराने के लिए स्वंतत्र है
विभाग को निर्देशित किया जाता है कि शिकायतकर्ता / उपभोक्ता द्वारा निर्धारित शुल्क जमा किए जाने के उपरान्त निर्धारित सीमा अवधि के अतंर्गत उक्त का चेक मापक लगाया जाए। तथा उपभोक्ता के परिसर में चेक मीटर लगाते व उतारते वक्त सीलिंग रिर्पोट में उपभोक्ता / शिकायतकर्ता प्रतिनिधी के समक्ष ही हस्ताक्षर कराएं जाए। उक्त आधार पर वाद को निस्तारित किया जाता है।

अपील का अधिकार –

उभयपक्ष एक – दूसरे से वाद को लेकर किसी भी प्रकार का वाद व्यय / प्रतिकर प्राप्त नहीं करेगें। इस निर्णय से सन्तुष्टि न होने पर परिवादी 30 दिनों के अन्दर विद्युत लोकपाल 80, बसन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो ।

शशि भूषण मैठाणी
सदस्य उपभोक्ता

सुबोध कुमार
सदस्य तकनीकी

Office of Consumer Grievance Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
132 k.v sub station Campus , Bhadelabara
Pithoragarh -262501 Ph.No.05964-297743
Email- cgrfpithoragarh@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
132 के0वी उपसंस्थान परिसर भदेलबाड़ा
पिथौरागढ़ –262501 फोन 0– 05964–297743
ई–मेल – cgrfpithoragarh@gmail.com

उपस्थिति 1–सुबोध कुमार, सदस्य तकनीकी 2–शशि भूषण मैठाणी, सदस्य उपभोक्ता

दिनांक - 14.11.2025

परिवाद –129/2025–26

श्रीमती शवाना असारी (अकांवट होल्डर सरस्वती)
पता – कैनाल कालौनी बनबसा
जिला चम्पावत — वादी

बनाम्

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
चम्पावत । — विपक्षी

निर्णय

1– शिकायतकर्ता श्रीमती शबाना अंसारी (अकांवट होल्डर सरस्वती) ने उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच पिथौरागढ़ द्वारा आयोजित कैम्प/सुनवाई में विद्युत बिल अधिक आने सम्बन्धी शिकायत की। शिकायत को दर्ज कर विपक्षी को मंच के कार्यालय पत्रांक 137/उ0शि0नि0मं0/पिथौरागढ़ दिनांक 22.09.2025 के द्वारा अपना पक्ष समस्त तथ्यात्मक विवरणों सहित प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।
2– प्रकरण में दिनांक 09.10.2025 को सुनवाई की गयी जिसमें उपखण्ड कार्यालय टनकपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 351/वि0वि0उप0टनक0 दिनांक 04.10.2025 द्वारा अवगत काराया कि उपभोक्ता को वर्तमान में सभी बिल मीटर रीडिंग के आधार पर निर्गत किये जा रहे हैं। यदि उपभोक्ता को मीटर की रीडिंग पर सन्देह है तो उपखण्ड कार्यालय में चेक मीटर हेतु आवेदन कर सकता है। उपभोक्ता द्वारा चेक मीटर हेतु वांछित शुल्क जमा करने के उपरान्त चेक मीटर लगा दिया जाएगा।

आदेश

प्रस्तुत वाद (वाद संख्या–129/2025–26) में शिकायतकर्ता/उपभोक्ता को यदि अपने मापक की कार्यशीलता पर संशय है तो वह मापक की जॉच कराने के लिए स्वंतत्र है।
विभाग को निर्देशित किया जाता है कि शिकायतकर्ता/उपभोक्ता द्वारा निर्धारित शुल्क जमा किए जाने के उपरान्त निर्धारित सीमा अवधि के अतंर्गत उक्त का चेक मापक लगाया जाए। तथा उपभोक्ता के परिसर में चेक मीटर लगाते व उतारते वक्त सींलिग रिर्पोट में उपभोक्ता/शिकायतकर्ता प्रतिनिधी के समक्ष ही हस्ताक्षर कराएं जाए। उक्त आधार पर वाद को निस्तारित किया जाता है ।

अपील का अधिकार –
उभयपक्ष एक – दूसरे से वाद को लेकर किसी भी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेगें। इस निर्णय से संन्तुष्टि न होने पर परिवादी 30 दिनों के अन्दर विद्युत लोकपाल 80, बसन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

शशि भूषण मैठाणी
सदस्य उपभोक्ता

S K Ayan
सुबोध कुमार
सदस्य तकनीकी

Office of Consumer Grievance Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
132 k.v sub station Campus , Bhadelabara
Pithoragarh -262501 Ph.No.05964-297743
Email- cgrfpithoragarh@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
132 के0वी उपसंस्थान परिसर भदेलबाड़ा
पिथौरागढ़ –262501 फोन 0– 05964–297743
ई–मेल – cgrfpithoragarh@gmail.com

उपस्थिति 1–सुबोध कुमार, सदस्य तकनीकी 2–शशि भूषण मैठाणी, सदस्य उपभोक्ता

दिनांक-14.11.2025

परिवाद –130 / 2025–26

श्री सुरेश चन्द्र — वादी
पता– बेलवन्दगोठ बनबसा
जिला चम्पावत

बनाम्

अधिशासी अभियंता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
चम्पावत ।

निर्णय

1– शिकायतकर्ता श्री सुरेश चन्द्र सिंह ने उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच पिथौरागढ़ द्वारा आयोजित कैम्प /सुनवाई में विद्युत बिल अधिक आने सम्बन्धी शिकायत की। शिकायत को दर्ज कर विपक्षी को मंच के कार्यालय पत्रांक 138 / उ0शि0नि0मं0 / पिथौरागढ़ दिनांक 22.09.2025 के द्वारा अपना पक्ष समस्त तथ्यात्मक विवरणों सहित प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।

2– प्रकरण में दिनांक 09.10.2025 को सुनवाई की गयी जिसमें उपखण्ड कार्यालय टनकपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 352 / वि0वि0उप0टनक0 दिनांक 04.10.2025 द्वारा अवगत कराया कि उपभोक्ता को वर्तमान में सभी बिल मीटर रीडिंग के आधार पर निर्गत किये जा रहे हैं। यदि उपभोक्ता को मीटर की रीडिंग पर सन्देह है तो उपखण्ड कार्यालय में चेक मीटर हेतु आवेदन कर सकता है। उपभोक्ता द्वारा चेक मीटर हेतु वांछित शुल्क जमा करने के उपरान्त चेक मीटर लगा दिया जाएगा।

आदेश

प्रस्तुत वाद (वाद संख्या–130 / 2025–26) में शिकायतकर्ता / उपभोक्ता को यदि अपने मापक की कार्यशीलता पर संशय है तो वह मापक की जॉच कराने के लिए स्वंतत्र है। विभाग को निर्देशित किया जाता है कि शिकायतकर्ता / उपभोक्ता द्वारा निर्धारित शुल्क जमा किए जाने के उपरान्त निर्धारित सीमा अवधि के अंतर्गत उक्त का चेक मापक लगाया जाए। तथा उपभोक्ता के परिसर में चेक मीटर लगाते व उतारते वक्त सींलिग रिर्पोट में उपभोक्ता / शिकायतकर्ता प्रतिनिधी के समक्ष ही हस्ताक्षर कराएं जाए। उक्त आधार पर वाद को निस्तारित किया जाता है।

अपील का अधिकार –

उभयपक्ष एक – दूसरे से वाद को लेकर किसी भी प्रकार का वाद व्यय / प्रतिकर प्राप्त नहीं करेगें। इस निर्णय से सन्तुष्टि न होने पर परिवादी 30 दिनों के अन्दर विद्युत लोकपाल 80, बसन्त बिहार, देहरादून में अपील कर सकते है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो ।

शशि भूषण मैठाणी
सदस्य उपभोक्ता

सुबोध कुमार
सदस्य तकनीकी

Office of Consumer Grievance Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
132 k.v sub station Campus , Bhadelabara
Pithoragarh -262501 Ph.No.05964-297743
Email- cgrfpithoragarh@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
132 के०वी० उपसंस्थान परिसर भदेलबाड़ा
पिथौरागढ़ –26250 फोन 0– 05964–297743
ई–मेल – cgrfpitl oragarh@gmail.com

उपस्थिति 1–सुबोध कुमार, सदस्य तकनीकी 2–शशि भूषण मैठाणी, सदस्य उपभोक्ता

दिनांक - 15.11.2025

परिवाद –131 / 2025–26

श्रीमती लीला देवी — वादी
पता– फागपुर (नई बस्ती)
जिला चम्पावत

बनाम्

अधिशासी अभियता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
चम्पावत ।

निर्णय

1– शिकायतकर्ती श्रीमती लीला देवी ने उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच पिथौरागढ़ द्वार आयोजित कैम्प /सुनवाई में विद्युत बिल अधिक आने सम्बन्धी शिकायत की गयी। शिकायत को दर्ज कर विपक्षी को मंच के कार्यालय पत्रांक 139/उ0शि0नि0मं0/पिथौरागढ़ दिनांक 22.09.2025 के द्वारा अपना पक्ष समस्त तथ्यात्मक विवरणों सहित प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।

2– प्रकरण में दिनांक 09.10.2025 को सुनवाई की गयी जिसमें उपखण्ड कार्यालय टनकपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 353/वि0वि0उप0टनक0 दिनांक 04.10.2025 द्वारा अवगत कराया कि उपभोक्ता को वर्तमान में सभी बिल मीटर रीडिंग के आधार पर निर्गत किये जा रहे हैं। यदि उपभोक्ता को मीटर की रीडिंग पर सन्देह है तो उपखण्ड कार्यालय में चेक मीटर हेतु आवेदन कर सकता है। उपभोक्ता द्वारा चेक मीटर हेतु वांछित शुल्क जमा करने के उपरान्त चेक मीटर लगा दिया जाएगा ।

आदेश

प्रस्तुत वाद (वाद संख्या–131/2025–26) में शिकायतकर्ता/उपभोक्ता को यदि अपने मापक की कार्यशीलता पर संशय है तो वह मापक की जॉच कराने के लिए स्वंतत्र है। विभाग को निर्देशित किया जाता है कि शिकायतकर्ता/उपभोक्ता द्वारा निर्धारित शुल्क जमा किए जाने के उपरान्त निर्धारित सीमा अवधि के अतंर्गत उक्त का चेक मापक लगाया जाए। तथा उपभोक्ता के परिसर में चेक मीटर लगाते व उतारते वक्त सींलिग रिर्पोट में उपभोक्ता/शिकायतकर्ता प्रतिनिधी के समक्ष ही हस्ताक्षर कराएं जाए। उक्त आधार पर वाद को निस्तारित किया जाता है।

अपील का अधिकार –
उभयपक्ष एक – दूसरे से वाद को लेकर किसी भी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेगें। इस निर्णय से सन्तुष्टि न होने पर परिवादी 30 दिनों के अन्दर विद्युत लोकपाल 80, बसन्त बिहार , देहरादून में अपील कर सकते है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

शशि भूषण मैठाणी
सदस्य उपभोक्त

सुबोध कुमार
सदस्य तकनीकी

Office of Consumer Grievance Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
132 k.v sub station Campus , Bhadelabara
Pithoragarh -262501 Ph.No.05964-297743
Email- cgrfpithoragarh@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
132 के०वी उपसंस्थान परिसर भदेलबाड़ा
पिथौरागढ़ –262501 फोन 0– 05964–297743
ई–मेल – cgrfpithoragarh@gmail.com

उपस्थिति 1–सुबोध कुमार, सदस्य तकनीकी 2–शशि भूषण मैठाणी, सदस्य उपभोक्ता

दिनांक - 13.11.2025

परिवाद –132 / 2025–26

वादी

श्री जगदीश प्रसाद
जिला – चम्पावत

बनाम्

विपक्षी

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
चम्पावत ।

निर्णय

1– शिकायतकर्ता श्री जगदीश प्रसाद ने उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच पिथौरागढ़ द्वार आयोजित कैम्प /सुनवाई में विद्युत बिल अधिक आने सम्बन्धी शिकायत की गयी। शिकायत को दर्ज कर विपक्षी को मंच के कार्यालय पत्रांक 141 / उ0शि0नि0मं0 / पिथौरागढ़ दिनांक 22.09.2025 के द्वारा अपना पक्ष समस्त तथ्यात्मक विवरणों सहित प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।

2– प्रकरण में दिनांक 09.10.2025 को सुनवाई की गयी जिसमें उपखण्ड कार्यालय टनकपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 356 / वि0वि0उप0टनक0 दिनांक 04.10.2025 द्वारा अवगत कराया कि उपभोक्ता को वर्तमान में सभी बिल मीटर रीडिंग के आधार पर निर्गत किये जा रहे हैं। यदि उपभोक्ता को मीटर की रीडिंग पर सन्देह है तो उपखण्ड कार्यालय में चेक मीटर हेतु आवेदन कर सकता है। उपभोक्ता द्वारा चेक मीटर हेतु वांछित शुल्क जमा करने के उपरान्त चेक मीटर लगा दिया जाएगा ।

आदेश

प्रस्तुत वाद (वाद संख्या–132 / 2025–26) में शिकायतकर्ता / उपभोक्ता यदि अपने मापक की कार्यशीलता पर संशय है तो वह मापक की जॉच कराने के लिए स्वंतत्र है। विभाग को निर्देशित किया जाता है कि शिकायतकर्ता / उपभोक्ता द्वारा निर्धारित शुल्क जमा किए जाने के उपरान्त निर्धारित सीमा अवधि के अंतर्गत उक्त का चेक मापक लगाया जाए। तथा उपभोक्ता के परिसर में चेक मीटर लगाते व उतारते वक्त सीलिंग रिर्पोट में उपभोक्ता / शकायतकर्ता प्रतिनिधी के समक्ष ही हस्ताक्षर कराएं जाए। उक्त आधार पर वाद को निस्तारित किया जाता है।

अपील का अधिकार –

उभयपक्ष एक – दूसरे से वाद को लेकर किसी भी प्रकार का वाद व्यय / प्रतिकर प्राप्त नहीं करेगें। इस निर्णय से सन्तुष्टि न होने पर परिवादी 30 दिनों के अन्दर विद्युत लोकपाल 80, बसन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

शशि भूषण मैठाणी
सदस्य उपभोक्ता

सुबोध कुमार
सदस्य तकनीकी